

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

निबंधित

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018 2817

पटना, दिनांक- 13/04/2026

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
मुजफ्फरपुर।

विषय:-

दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-2310, दिनांक-23.03.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-2)	BSRTC	BR06PG7507	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
2	(क-4)1	श्री सुबोध झा	BR06PG9135	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
3	(क-5)1	Ruchi Shukla	BR06PC-8830	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
4	(क-6)3	श्री मोहन कुमार सिंह	BR06PE-6335	परमिट से भिन्न मार्ग पर वाहन का परिचालन	कुल-03 दिन
5	(क-7)1	श्रीमती सरिता देवी	BR06PG-7045	परमिट से भिन्न मार्ग पर वाहन का परिचालन	कुल-02 दिन
6	(क-8)2	श्री गोविन्द कुमार	BR06PG-9620	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-07 दिन
7	(क-11)1	Ranjit Kumar	BR06PG-9061	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-07 दिन
8	(क-12)1	श्री शम्भु राय, आपत्तिकर्ता	BR06PE-2875	परमिट से भिन्न मार्ग पर वाहन का परिचालन	कुल-03 दिन
9	(क-12)4	Amar Jyoti Carriers Pvt Ltd	BR06PD 7351	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
10	(क-12)5	श्रीमती जिप्सी देवी, आपत्तिकर्ता	BR06PF-3413	परमिट से भिन्न मार्ग पर वाहन का परिचालन	कुल-02 दिन
11	(क-16)1	BSTRC	BR06PD8198	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
12	(क-16)3	Babalu Singh	BR06PC-2131	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
13	(क-16)3	श्री मुरारी मोहन झा, आपत्तिकर्ता	BR06PE-3906	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-01 दिन
14	(क-16)8	Lalan Kuvar	BR06PE-9745	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
15	(क-16)9	Sanjay Jha	BR06PG-6760	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
16	(क-16)10	Rakesh Singh	BR06PG-4992	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
17	(क-16)11	Pawan Kumar	BR06PG8246	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन



18	(क-16)12	Babul Kumar	BR06PG8593	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
19	(क-16)15	Hari Bansh Narayan Singh	BR06PG7745	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन किये जाने	कुल-07 दिन
20	(क-16)16	Rishi Raj	BR06PG 8541	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-07 दिन
21	(क-16)17	Mohan Kumar Singh	BR06PF6335	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
22	(क-16)19	Annant Bhushan Kumar	BR06PG7118	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
23	(क-16)23	Mohan Kumar Singh	BR06RA6335	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
24	(क-17)1	BSTRC	BR06PF8093	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
25	(क-17)2	श्री कैलास मिश्रा, आपत्तिकर्ता	BR06PD-9796	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
26	(क-17)4	श्री राकेश कुमार झा	BR06PC7251	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
27	(क-17)5	श्री सुरेश कुमार	BR06PC6451	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
28	(क-17)8	श्री केशव कुमार	BR06PG6312	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
29	(क-17)9	श्री विनीत राय	BR06PG4647	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
30	(क-17)9	आनन्द ट्रेवल्स प्रो० आनन्द कुमार सिंह, आपत्तिकर्ता	BR06PD 4336	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
31	(क-17)10	श्री ईश्वर दयाल सिंह	BR06RA 9035	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
32	(क-17)12	श्री राकेश कुमार मिश्रा	BR06PG-9151	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
33	(क-17)15	श्री राधेश्याम तिवारी	BR06PG7041	वाहन स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
34	(क-17)17	श्री सतीश कुमार	BR06PC8951	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-02 दिन
35	(क-17)20	श्री राजेश कुमार सिंह	BR06PC-7375	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
36	(क-18)3	Sanjay Kumar	BR06PG-6874	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
37	(क-19)4	Govind Kumar	BR06PG 5578	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-01 दिन
38	(क-22)1	Sanjay Kumar	BR06PG-7342	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
39	(क-28)1	श्री सुमित कुमार सिंह	BR06PG-8579	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
40	(क-37)1	Sumanth Saurabh	BR06PG-5096	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
41	(क-40)6	Awadhesh Kumar Tiwari	BR06PD-9241	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
42	(क-41)2	Kiran Shukla	BR06PF-3951	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
43	(क-44)1	Suresh Kumar	BR06PE-4351	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-02 दिन
44	(क-48)1	श्री शिव कुमार चौधरी	BR06PE-2926	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
45	(क-46)	श्रीमती सुषमा	BR06PE-0066	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
46	(क-67)1	Nilam Singh	BR06PG9588	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन

47	(क-68)1	Nilam Singh	BR06PG-9688	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
48	(क-73)1	Sanjay Kumar Singh	BR06PG-6616	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-07 दिन
49	(क-73)1	श्री मोहन कुमार सिंह, आपत्तिकर्ता	BR06PE-9035	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
50	(क-74)1	श्री राघवेन्द्र सिंह	BR06PG-2416	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
51	(क-74)2	श्री मणिभूषण कुमार	BR06PE-8580	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
52	(क-74)3	श्री सत्येन्द्र कुमार	BR06PG-6322	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
53	(क-74)3	श्री भरत कुमार सिंह, आपत्तिकर्ता	BR06PD-2535	परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
54	(क-75)1	Raushan Kumar	BR06PE-6335	परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-02 दिन
55	(क-76)2	श्री राघवेन्द्र सिंह	BR06PG-6086	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
56	(क-78)3	BSRTC	BR06PD-8197	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
57	(क-81)1	श्री रामप्रीत राय	BR06PF-6506	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-07 दिन
59	(क-87)1	Sheela Mishra	BR06PG7697	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-03 दिन
60	(क-103)1	Nilam Singh	BR06PG-9488	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-02 दिन
61	(क-104)2	श्री नित्यानन्द सिंह	BR06PF-1245	परमिट से भिन्न मार्ग पर वाहन का परिचालन	कुल-02 दिन
62	(क-104)3	श्रीमती नीलम सिंह	BR06PF-5788	परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-01 दिन
63	(क-130)1	BSRTC	BR06PG-6180	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-07 दिन
64	(क-136)	Manish Kumar Coudhary	BR06PC-7707	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-07 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

6/13.4.20  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

निबधित

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018 2818

पटना, दिनांक- 13/04/2026

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
नालन्दा।

विषय:-

दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-2310, दिनांक-23.03.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-16)4	BSRTC	BR21PA-0533	वाहन स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
2	(क-16)5	BSRTC	BR21PA-0532	वाहन स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
3	(क-24)4	Priyanka Kumari	BR21K-6221	वाहन स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-05 दिन
4	(क-55)1	श्री राजीव कुमार, आपत्तिकर्ता	BR21J-8322	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-01 दिन
5	(क-62)2	श्री गौरव किशोर	BR21L-6321	वाहन स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
6	(ख-27)	Surendra Prasad Singh	BR21P3395	वाहन स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-03 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

13.4.26  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

निबधित

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018 2819

पटना, दिनांक- 13/04/2026

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
पटना।

विषय:-

दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-2310, दिनांक-23.03.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-2)7	BSRTC	BR01PS-8711	वाहन स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-03 दिन
2	(क-2)9	BSRTC	BR01PR-9945	वाहन स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-02 दिन
3	(क-12)2	Anita Devi	BR01PQ-0039	वाहन स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
4	(क-12)3	Angesh Chaudhary	BR01PR-2146	वाहन स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
5	(क-18)1	Aradhna Sinha	BR01PR-7780	वाहन स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-01 दिन
6	(क-18)1	Aradhna Sinha	BR01PR-7782	वाहन स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-03 दिन
7	(क-40)2	BSRTC	BR01PR-9318	वाहन स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
8	(क-40)3	BSRTC	BR01PR-9319	वाहन स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
9	(क-91)1	श्री शशि कुमार सिंह	BR01PS-7173	वाहन स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
10	(क-108)2	श्री रमेश प्रसाद, आपत्तिकर्ता	BR01PS-1884	वाहन स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
11	(क-110)2	श्री सौरव रॉय	BR01PQ-5050	वाहन स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
12	(क-110)3	श्री वकील राय	BR01PP-5050	वाहन स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
13	(क-142)2	Subodh Kumar	BR01PE- 7586	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
14	(ख-25)1	Aradhna Sinha	RJ09PA-3726	वाहन स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-03 दिन
15	(ख-26)1	Aradhna Sinha	RJ09PA 3725	वाहन स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-03 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

निबंधित

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018 2820

पटना, दिनांक- 13/04/2026

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
वैशाली।

विषय- दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-2310, दिनांक-23.03.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-16)15	श्री सुरेश कुमार, आपत्तिकर्ता	BR31PA5551	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
2	(क-23)1	श्री धर्मजीत कुमार मिश्रा	BR31PA-6851	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
3	(क-76)1	श्री राजेश कुमार सिंह	BR31PA-2556	परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-02 दिन
4	(क-97)1	श्री राहुल कुमार	BR31PB-2333	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-07 दिन
5	(क-137)2	Aman Kumar	BR31PB-5574	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-07 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

13.4.26  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

निबंधित

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018\* 2821

पटना, दिनांक- 13/04/2026

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
शिवहर।

विषय:-

दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-2310, दिनांक-23.03.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मंद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-29)1	Ajit Sharma	BR55P-5511	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन  
6/5/26  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

निबंधित

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018

३४३२

पटना, दिनांक- 13/04/२०२६

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
दरभंगा।

विषय:- दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-2310, दिनांक-23.03.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित-मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-14)1	Rajiv Ranjan	BR07PC-1923	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
2	(क-16)7	Ranjeet Kumar Jha	BR07PC-9343	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
3	(क-48)3	श्री दिनेश नारायण ठाकुर, आपत्तिकर्ता	BR07PA-5793	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

सचिव, 13.4.26

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

निबंधित

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018

२४२३

पटना, दिनांक- 13/04/2026

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
समस्तीपुर।

विषय:-

दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-2310, दिनांक-23.03.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-17)	श्रीमती प्रियंका कुमारी, आपत्तिकर्ता	BR33PA-8580	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
2	(क-87)1	श्रीमती परमेश्वरी देवी	BR33PA-6314	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-02 दिन
3	(क-87)2	Sushil Kumar Agarwal	BR33PA5114	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-04 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

13.4.26  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

निबंधित

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018 2824

पटना, दिनांक- 13/04/2026

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
खगड़िया।

विषय:-

दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-2310, दिनांक-23.03.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-15)2	Rupam Raj Pandaw	BR34P-6835	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-07 दिन
2	(क-63)1	श्री किरण यादव	BR34P-6755	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-07 दिन
3	(क-63)2	श्री किरण यादव	BR34P-6754	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-07 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

13.4.26  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

**बिहार सरकार  
परिवहन विभाग**

निबंधित

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018

2825

पटना, दिनांक-13/04/2026

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
बेगूसराय।

विषय:- दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-2310, दिनांक-23.03.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-24)1	Kiran Yadav	BR09PA-1307	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
2	(क-24)2	Kiran Yadav	BR09PA-2354	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
3	(क-32)4	श्री पिकेश कुमार सिंह, आपत्तिकर्ता	BR09P-3233	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-02 दिन
4	(क-33)1	श्री यशवंत कुमार	BR09PB-9013	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-03 दिन
5	(क-35)2	श्री सुनील कुमार सिंह	BR09M-4797	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
6	(क-77)1	श्रीमती सोनी सिंह	BR09PB-0511	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-07 दिन
7	(क-77)2	श्रीमती सोनी सिंह	BR09PB-0508	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-07 दिन
8	(क-79)2	श्रीमती सुधा सिंह	BR09PB-0223	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
9	(क-79)4	श्रीमती सुधा सिंह	BR09PB-0224	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-02 दिन
10	(क-98)1	Manoj Kumar	BR09PB9121	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
11	(क-99)2	Chunchun Singh	BR09PB7321	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
12	(क-105)	श्री पप्पु लग्जरी	BR09PA-9888	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
13	(क-105)2	Pappu Luxary	BR09PA9890	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-06 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

13.4.26  
सचिव

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

निबंधित

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018 2826

पटना, दिनांक- 13/04/2026

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
शेखपुरा।

विषय:- दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-2310, दिनांक-23.03.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-58)2	श्री बासुकी नाथ	BR52P-1494	वाहन का परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
2	(क-72)1	श्री बासुकी नाथ, आपत्तिकर्ता	BR52P1423	परमिट से भिन्न मार्ग पर वाहन का परिचालन	कुल-03 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

13.4.26  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

निबंधित

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018

2827

पटना, दिनांक-13/04/2026

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
जमई।

विषय:-

दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-2310, दिनांक-23.03.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-52)	श्री चन्दन कुमार	BR46P 6751	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

ME  
सचिव, 13.4.26

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

निबधित

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018 2828

पटना, दिनांक- 13/04/2026

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
सहरसा।

विषय:- दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-2310, दिनांक-23.03.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	गद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-137)	Abhishek Kumar	BR19F5072	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-07 दिन
2	(क-140)1	श्री अनिल कुमार सिंह	BR19P-3466	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-05 दिन
3	(क-140)5	श्री पंकज कुमार यादव	BR19P-8887	परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
4	(क-141)1	श्री अनिल कुमार सिंह	BR19P-2566	वाहन का परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
5	(क-141)2	श्री अनिल कुमार सिंह	BR19P-3366	वाहन का परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
6	(क-141)3	श्री अनिल कुमार सिंह	BR19F-3266	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-07 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

13.4.26  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

दिनांक

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018 2829

पटना, दिनांक- 13/04/2026

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
सीवान।

विषय:-

दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-2310, दिनांक-23.03.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	गद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-50)2	श्री राकेश कुमार, आपत्तिकर्ता	BR29PA-8695	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-02 दिन
2	(क-94)1	श्री सतीश कुमार दूबे, आपत्तिकर्ता	BR29PA-8535	परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
3	(क-95)2	श्री सतीश कुमार दूबे, आपत्तिकर्ता	BR29PA-8335	परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
4	(क-108)7	श्री प्रमोद कुमार सिंह	BR29PA-9374	वाहन का परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
5	(क-125)1	श्री सुनिल कुमार दूबे, आपत्तिकर्ता	BR29PA-8735	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
6	(क-127)1	श्री संतोष कुमार	BR29PA-9890	वाहन का परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-01 दिन
7	(क-132)4	श्री ज्योतिन्द्र कुमार	BR29PB6221	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-07 दिन
8	(ख-14)1	श्री राकेश कुमार, आपत्तिकर्ता	BR29PB-8695	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-02 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

13.4.26  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

निबधित

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018 2830

पटना, दिनांक- 13/04/2026

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
मधेपुरा।

विषय:- दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-2310, दिनांक-23.03.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-140)2	श्री यादवेन्दु कुमार	BR43P-9964	वाहन का परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
2	(क-140)4	श्री यादवेन्दु कुमार	BR43PA-1709	वाहन का परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-02 दिन
3	(क-140)6	श्री पंकज कुमार यादव	BR43PA-8687	वाहन का परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
4	(क-141)7	श्री यादवेन्दु कुमार	BR43PA-1710	वाहन का परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

13.4.26

सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

निबधित

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018 2831

पटना, दिनांक- 13/04/2026

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
पूर्णियाँ।

विषय:- दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-2310, दिनांक-23.03.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-70)2	Kumari Soni	BR11PD-2858	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-07 दिन
2	(क-136)7	Md Saffat Alam	BR11PD-9601	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

13.4.26  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
4 बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

निबंधित

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018

2832

पटना, दिनांक- 13/04/2026

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
अररिया।

विषय:- दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-2310, दिनांक-23.03.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-27)1	मो० कलीम	BR38P-5511	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
2	(क-136)3	Rajesh Jaiswal	BR38P6798	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद परिचालन	कुल-07 दिन
3	(क-144)1	Md Aslam	BR38P-6711	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-07 दिन
4	(क-145)1	मो० असलम	BR38P-6811	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-07 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

13-4-26  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

विबधित

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018 2833

पटना, दिनांक- 13/04/2026

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
छपरा।

विषय:-

दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-2310, दिनांक-23.03.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-50)	श्री अविनाश कुमार राय	BR04PA-8858	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-01 दिन
2	(क-91)6	श्री संतोष कुमार सिंह	BR04N7173	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
3	(क-107)1	श्री प्रवीण कुमार	BR04PA-3794	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-07 दिन
4	(क-108)5	श्री प्रवीण कुमार सिंह	BR04PA-9402	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-07 दिन
5	(क-110)2	श्री त्रिभुवन सिंह	BR04M-7651	वाहन का परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
6	(क-110)4	श्री अविनाश कुमार राय	BR04PA-8856	वाहन का परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
7	(क-113)1	Surendra Sharma	BR04PA8160	वाहन का परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
8	(क-113)2	Surendra Sharma	BR04PA-6766	परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-01 दिन
9	(क-122)1	श्री रवि कुमार	BR04Q-3291	परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
10	(क-126)1	श्री सुरेन्द्र शर्मा	BR04PA-4966	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
11	(क-132)3	श्रीमती नीतू रानी सिंह	BR04PA-2640	वाहन का परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
12	(क-134)1	Shane Alam	BR04PA8521	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-07 दिन
13	(क-134)2	Zafar Alam Siddique	BR04PA9786	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-07 दिन
14	(ख-24)	श्री शंकर सिंह	BR04N-9822	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-01 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

13.4.26

सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

निबंधित

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018

2834

पटना, दिनांक- 13/04/2026

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
गयाजी।

विषय:-

दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-2310, दिनांक-23.03.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-53)1	Murari & Krishna Bus Trans Service	BR02PB4566	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
2	(क-56)1	श्रीमती मंजु देवी, आपत्तिकर्ता	BR02PC-6051	परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
3	(ख-33)1	श्रीमती रीता देवी	BR02PC1095	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

13.4.26  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018

2835

पटना, दिनांक- 13/04/2026

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
जहानाबाद।

विषय:-

दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-2310, दिनांक-23.03.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(ख-5)1	श्री सुर्य नारायण सुरेश, आपत्तिकर्ता	BR25PA-8199	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

13.4.26  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018.

2836

पटना, दिनांक- 13/04/2026

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
नवादा।

विषय:- दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-2310, दिनांक-23.03.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-146)1	श्री अरविन्द सिंह	BR27P-0580	परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन
2	(ख-2) 1	KAUSHAL KUMAR	BR27P4361	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-07 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

13.4.26  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

निबंधित

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018

2837

पटना, दिनांक- 13/04/2026

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
भागलपुर।

विषय:-

दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-2310, दिनांक-23.03.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(ख-18)	श्री पियुष प्रसाद सिंह	BR10PA-2804	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-02 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

13.4.26  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

विषय

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018 2838

पटना, दिनांक- 13/04/2026

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
मोतिहारी।

विषय:-

दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-2310, दिनांक-23.03.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-41)	Anjney Gautam	BR05PB9740	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-01 दिन
2	(क-40)7	Krishna Kumar	BR05PB-6136	वाहन का परमिट से भिन्न मार्ग पर परिचालन	कुल-03 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

21/3.4.26  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

निबंधित

पत्रांक-04/STA-(विविध)-41/2018

9839

पटना, दिनांक-13/04/2026

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
किशनगंज।

विषय:-

दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-24 एवं 25 फरवरी, 2026 तथा 02 मार्च, 2026 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-2310, दिनांक-23.03.2026 द्वारा निर्गत है, में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, बिना परमिट के वाहनों का अवैध परिचालन एवं परमिट पर अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन किये जाने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी को दण्ड अधिरोपित कर इसकी वसूली करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त अवैध परिचालन करने वाले वाहन स्वामी एवं उनके वाहन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	दण्ड अधिरोपित किये जाने का कारण	अवैध परिचालन हेतु दण्ड अधिरोपित किये जाने की दिनों की संख्या
1	(क-49)	Manoj Kumar	BR37E1127	वाहन के स्पेयर होने के बावजूद वाहन का परिचालन	कुल-03 दिन

अतः अनुरोध है कि उक्त वाहन पर नियमानुकूल दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड की वसूली कर अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रतिवेदित किया जाय।

विश्वासभाजन

13.4.26  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।